

बिहारीका अधिकारीयों के उनकी कृति और विभिन्न अधिकारीयों द्वारा उनकी विभिन्न विधियों पर विवादित होनी विभिन्न विधियों द्वारा उनके नाम के सम्बन्ध अधिक विवादित होते हैं।

क्र.सं.	मार्गदर्शक नं.	नाम व पद	आवेदन आवास संख्या	संवादिति दिनांक
1.	86 / 2012	डा. विजय रेहं विकल्पा अधिकारी श्री.ए.एस. फौजी रोडगो वायानोरिया रावाई मानरिहं विकित्यालय बंधुपुर।	जीए/ बी/ डी 2/ 121 विवाहार-सभा बंधुपुर।	30.6.2043
2.	87 / 2012	डा. संतीप कुमार राज विकल्पा अधिकारी श्री.ए.एस. फौजी रोडगो वायानोरिया रावाई मानरिहं विकित्यालय बंधुपुर।	जीए/ बी/ डी 2/ 122 विवाहार-सभा बंधुपुर।	31.10.2042

111

1. अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत उपकरणों की सिंधि से इस दिन में लिया जायेगा। इस अवसरों में कल्पा ने नये पार आवास आवेदन लिए नियमों का जागरूक होना चाहेगा।
 2. चक्र आवास का नियायालय अपने विविध रोमांचित रूपान्वयन के फ़िराब का अवधारण और नयी नियम 1958 के अन्तर्गत इन सरकार द्वारा समय पर जारी आवेदनों के अनुसार बनाया होगा।
 3. देवानियुक्त भित्तिक से लोगों द्वारा पश्चात्य आवास दिल करना होगा।
 4. जम्मूर से गहर रूपान्वयन हो जाने पर इस नियम को शून्य करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की सिंधि से एक याह पश्चात्य आवास दिल करना होगा।
 5. लोग जब भूमि/वस्त्रों के नाम से पक्ष्यावान रूपान्वयन पर नियमी आवास बन जाने की विधि में इस दिन का सुनित करना चाहिए।
 6. नियम अपनी अधिकारी का जननीय आवास का अन्तर्गत नियम जी दृष्टि हो। अतः सरकारी आवास आवेदन नियम 1958 ने दिन 10(III) के अनुसार ऐसे आदेश दर्शाया होने के बाहर आवास वी विधि के इन दिन में आवास आवेदन स्थीरकर करने में असफल रहने वाले तारीख से 6 माह की काली की तरह अपने आवास वी के लिए यह नई विधि के अन्तर्गत दसवाह द्वारा पश्चात्य दर्शे परिणाम दृष्टि में अपनी दूसरी रियायत में पुनर्जागरण करना चाहिए। इसका प्रकार नियमानुसार यह दसवाह द्वारा अनुदोष द्वारा दिया जायेगा।
 7. शुभ्रनियम विद्युत विभाग/अपराष्प विभाग अधिकारी कमांड आवेदी के द्वारा अवास का कल्पा आवास दिन की विधि से 8 दिन से लिया जायेगा; अन्यान नियमानुसार अधिकारी आवेदन आवेदी अद्यतनामें जब सामाजिक विद्युत वर्तन करने के आदेश प्रसारित कर दिये इस नियम के विज्ञाने का अग्र करायें।
 8. आवेदी की आवासित संजकीय आवास संख्या बन करना लेने से पूर्व संविधित अधिकारी अधिकारी/अवासीय अधिकारी को यह जागरूक करनी चाही।
 1. आवास वर्तमान करने के पश्चात्य आवासित संजकीय आवास के कल्पा लेने वाले वी अधिकारी नियन्त्रण जगह पर्याप्त ही प्रश्नावधित हो रहे हैं।
 2. आवास वर्तमान करने की सिंधि से आवासित संजकीय आवास ने कल्पा लेने वाले वी अधिकारी के नाम को दर्शाएं रखना अपनी 4 दिन पर आविष्कारी विधि अवधि संदर्भ में जारी आवास विभाग की विधि दर्शा दें।
 9. उपरोक्त के विविध विवरण द्वारा समय संग्रह गए जारी विधि वाले वी नाम दर्शाएं।

with $\rho_1 = \rho_2 = 0$


1

Digitized by Google

ਪਾਤਿਆਂ ਕਿਸ਼ਾਕਿਤ ਨੇ ਯੁਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਿੱਤ ਹੈ :

१. शास्त्रीय आनुवानिकी कलेज, वडोदरा
 २. डिल्ली कला संस्कार एवं विद्यालय, विनी संकाय, वडोदरा
 ३. वाय विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक विभाग, विनी संकाय, वडोदरा
 ४. विश्वविद्यालय, वाय विभाग, विनी संकाय, वडोदरा
 ५. विश्वविद्यालय, विनी संकाय, वाय विभाग, वडोदरा
 ६. विश्वविद्यालय, विनी संकाय, वाय विभाग, वडोदरा
 ७. विश्वविद्यालय, विनी संकाय, वाय विभाग, वडोदरा
 ८. विश्वविद्यालय, विनी संकाय, वाय विभाग, वडोदरा

9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहुरण वित्तरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किसाया कटीती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अधिकारी का कार्यवाही को लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन रक्षण अभियांत्रिकी/जयपुर विभाग निर्माण विभाग/जयपुर, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकर्मी, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की टेबसाईट पर अपडेट कराने का अम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-४ की पालना को सुनिश्चित कर कर्जा देवे तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
13. निदेशक, उपायक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (मुप-५) विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
17. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (मुप-२) विभाग।
18. रक्षित पत्रावली।



(मनोहर लाल चतुर्वेदी)
शासन सहायक सचिव